

10. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2013/19T14/इलाहा/185/सीएफओ/ दिनांक 14.3.2016 में अंकित प्रतिबंधों का पालन करना होगा (छायाप्रति संलग्न)।
11. मुख्य अधिवक्ता विद्युत (वितरण) निगम लिमिटेड इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 179/मु0अ0(वेड)/इओड/पी-2(मानचित्र) दिनांक 11.3.2016 में अंकित प्रतिबंधों का पालन करना होगा (छायाप्रति संलग्न)।
12. प्रस्तुत नानदित्र बेसनेट में शॉप, गूलर घर पाकिंग रोड रोड शॉप, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर भी शॉप के निर्माण की अनुमति हेतु है। तदनुसार ही निर्माण कार्य किया जाय।
13. नानदीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उपरक्त होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति मानदीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। वह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
14. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा तल सूचना दी गयी है तो 3000 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 25 (9) के अन्तर्गत मानचित्र विरस्त करने योग्य होगा।
15. भवन निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो भवन के आध भाग, पृष्ठ भाग, अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हों) को छाने पहुँचें तो सूक्ष्मनी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने अर्थ से परमत्त कराकर पूर्ववत् अवस्था जिस्से दिफ.स प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
16. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
17. भू-निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंजिडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
18. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को गजान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना गजान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा छत आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निर्देशन में गजान निर्मित हुआ है।
19. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया, तो निर्माणकर्ता को दो-तीन स्वीकृति रद्द कराई जायेंगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर 3400 अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेंगी।

संलग्नक : उपसूक्तानुसार।

12/3/2016
(पुष्कर श्रीवास्तव)
नेरोप कार्याधिकारी

(11)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 12/प्र0अ0(त0स0)/जोन-2/2015-16 दिनांक 05/05/2016

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती कैसर जैदी पत्नी स्व0 डा0 एस0एम0 अस्करी, श्रीमती तहसीन अस्करी पुत्री स्व0 डा0 एस0एन0 अस्करी पत्नी श्री एस0 नसीर अब्बास हुसैनी द्वारा भवन संख्या-54 पुराना 38/45/49 खुल्दाबाद परगना व तहसील-सदर जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 08-04-2016 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 10 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
5. भवन का निर्माण भूकम्परोधी मानकों के आधार पर ही आवश्यक रूप से किया जाय। भवन की संरचना एवं सुरक्षा का दायित्व आवेदकगण का होगा। बेसमेन्ट में खुदाई का कार्य/बेसमेन्ट का निर्माण के समय यह सुनिश्चित किया जाय कि अगल-बगल की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचने पाये। वर्षा ऋतु सन्निकट है अतः यह भी ध्यान रखा जाय कि बेसमेन्ट में पानी का भराव न हो।
6. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
7. पुराने निर्माण को स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख-रेख में ध्वस्त कराना होगा। तत्समय यह सुनिश्चित किया जाय कि अगल-बगल की सम्पत्ति एवं किसी प्रकार की जन-धन की हानि न होने पाये।
8. रोड वाइडनिंग की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 879/STCE/2016 दिनांक 28.01.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा (छायाप्रति संलग्न)।

8-5-16

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot








10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot



PROPOSED COMMERCIAL (CONVENIENT SHOPS) BUILDING
 PLAN OF HOUSE NO 34 (old - 3845499) SITUATED AT MOHALLA
 KILDARABAD, PARKANA & TERSHI - SADUR, DIST -
 ALLAHABAD.

THIS IS CERTIFIED THAT THIS MAP IS
 ACCORDING TO BUILDING BYLAWS 2008
 AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021

AREA CHART

Description	SQ.M.
Total Plot Area	1020.56
Left hand Road Widening	218.93
Net Plot Area	801.63
Proposed Covered Area (w/ Basement)	379.50
Proposed Covered Area On Ground Floor	330.37
Proposed Covered Area On First Floor	39.13
Proposed Covered Area On Second Floor	39.50
Unbuilt Area	213.93
Total Covered area on Basement, GF, FF & SF	1279.50
F.A.R.	PERMISSIBLE 1.75%
Achieved	4.55%
Open Area On Ground Floor	66.02

SCHEME OF DOOR & WINDOW

D1 = 1732.13 m
 W = 200.23 m
 RATIO = 8.65
 VOLUME = 36.5 m

CALCULATION OF BUILT UP AREA

14.043.20 = 4.55% Sq.m.

OPEN AREA = 218.93
 TOTAL COVERED AREA = 1279.50
 TOTAL = 1498.43

Built up area = 492.57 - 93.22 Sq.m.
 = 231.50 Sq.m.

SIGN OF OWNER
SIGN OF ARCHITECT

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot

10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot
 10% increase in area of plot